

सं०सं०-7/जन स्वा०-8-01/2017-165 (7) ①
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, बेतिया/दरभंगा।


पटना, दिनांक : 21-3-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मर्दों में कुल ₹ 6,12,000/- (छः लाख बारह हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-15.05.17, 51(7)ब दिनांक-30.08.17, 66(7)ब दिनांक-21.09.17 109(7)ब दिनांक-11.12.17 एवं 121(7)ब दिनांक-27.12.17, 143(7)ब दिनांक-20.02.18 एवं 155(7)ब दिनांक-16.03.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मर्दों में कुल ₹ 6,12,000/- (छः लाख बारह हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

- सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी।
- इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।
- सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन/भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।
- इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।
- कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।




1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, /


20/3/18


(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 165 (7)0

पटना, दिनांक : 21-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


20/3/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिविल सर्जन, बेतिया	140000	191800	127000	1520	1680	462000	65/7.3.18
2	सिविल सर्जन, दरभंगा	60000	78000	9000	1400	1600	150000	436/12.3.18
	कुल योग:-	200000	269800	136000	2920	3280	612000	

(छ: लाख बारह हजार) रू० मात्र

165 (7)0
21-3-18

20/3/18

सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0002-01-01)	60300000	51215000	200000	51415000	8885000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	78994000	66982300	269800	67252100	11741900
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	11294000	8721400	136000	8857400	2436600
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	354000	352459	0	352459	1541
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	1017000	772430	2920	775350	241650
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	975000	765020	3280	768300	206700
	योग 20-2210.06.003.0002.01 वेतन	152934000	128808609	612000	129420609	23513391
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	200000	196543	0	196543	3457
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	100000	80000	0	80000	20000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	200000	200000	0	200000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	200000	100000	0	100000	100000
11	दूरभाष (0002-13-03)	12000	12000	0	12000	0
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	250000	250000	0	250000	0
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	100000	0	100000	0
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	100000	100000	0	100000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	108000	108000	0	108000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03) *	700000	0	0	0	700000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	100000	100000	0	100000	0
18	दवा भंडार (0002-21-02)	100000	0	0	0	100000
19	छात्रवृत्ति/वजीफा (0002-34-01)	26000	26000	0	26000	0
20	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	100000	100000	0	100000	0
	कुल योग:-	155230000	130181152	612000	130793152	24436848

165(7)A

21-3-18

कुल योग:-

← 20/3/18

सुकर के विशेष सचिव